नये विद्युत संयोजन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सामान्यता पूछे जाने वाले प्रश्न (झटपट पोर्टल)
FAQ (Frequently Ask Question)

प्रश्न 01: नया विद्युत कनेक्शन लेना है। कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कैसे करना होगा?

उत्तरः घर के लिए नया विद्युत कनेक्शन लेने के लिए झटपट पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

झटपट पोर्टल पर अन्य श्रेणी (वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थागत/अस्थायी) – अधिकतम 20 कि0वा0 तक के संयोजन लेने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

झटपट पोर्टल की वेबसाईट है– https://jhatpat.uppcl.org/online/frmlogin.aspx

प्रश्न 02: यदि दुकान अथवा औद्योगिक कार्य के लिए 20 कि0वा0 से अधिक भार का संयोजन लेना है तो कहाँ आवेदन करना होगा?

उत्तरः वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थागत इकाई के लिए 20 कि0वा0 से अधिक भार का संयोजन लेने के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
निवेश मित्र पोर्टल की वेबसाईट हैः– https://niveshmitra.up.nic.in/

प्रश्न 03: यदि आवेदक को कम्प्यूटर या मोबाईल पर ऑन–लाईन आवेदन करना नहीं आता है तो वह संयोजन के कैसे आवेदन करें?

उत्तरः आवेदक जन सुविधा केन्द्र/साइबर कैफे/कम्प्यूटर सेन्टर जहाँ पर इन्टरनेट/कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है, की सहायता प्राप्त कर ऑन–लाईन आवेदन कर सकता है। ऑन–लाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी विभागीय टोल–फ्री हेल्पलाईन नम्बर 1912 पर काल कर प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 04: क्या आवेदन करने के उपरान्त सम्बन्धित कार्यालय में सम्पर्क करना आवश्यक है?

उत्तरः ऑन–लाईन आवेदन करने के उपरान्त सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऑन–लाईन आवेदन सम्बन्धित कार्यालय को स्वतः ही प्राप्त हो जायेगा। यदि आवेदन में अथवा अपलोड किये गये दस्तावेजों में कोई कमी है तो विभाग द्वारा झटपट पोर्टल पर ही क्वेरी प्रेषित की जायेगी, जिसका उत्तर आवेदक द्वारा ऑन–लाईन झटपट पोर्टल पर ही दिया जाना है।

प्रश्न 05: क्या आवेदन करने के उपरान्त विभाग द्वारा रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया जायेगा अथवा सिर्फ एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा?

उत्तरः आवेदन की स्थिति में परिवर्तन होने अथवा क्वैरी के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार ही आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर विभाग द्वारा सम्पर्क किया जायेगा।

प्रश्न 06: यदि आवेदन करने के उपरान्त निर्धारित समय के अन्दर विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो क्या करना होगा?

उत्तरः आवेदक द्वारा विभागीय हेल्पलाईन 1912 (टोल–फ्री) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रश्न 07: क्या ऑन–लाईन आवेदन किये जाने के अतिरिक्त भी नये संयोजन के लिये ऑफ–लाईन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तरः नये संयोजन निर्गत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा आवेदकों की सुविधा के लिए आवेदन ऑन–लाईन ही प्राप्त किये जा रहे हैं।

प्रश्न 08: क्या झटपट पोर्टल पर आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है?

उत्तरः जी हाँ, झटपट पोर्टल पर आवेदक का के0वाई0सी0 अनिवार्य है, इसीलिए आवेदक को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए नाम, जन्म तिथि, ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर होना चाहिये।

प्रश्न 09: आवेदक को यूजर आई0डी0 व पासवर्ड कैसे प्राप्त होंगे?

उत्तरः रजिस्ट्रेशन करने पर आवेदक को यूज़र आई0डी0 व पासवर्ड उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जायेगा, अतः आवेदक को अपना स्वयं का मोबाईल नम्बर ही देना है।

क्रमशः...........

प्रश्न 10: झटपट पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करते समय कौन–कौन से दस्तावेज लगाने होंगे?
उत्तरः ऑनलाईन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को ऑनलाईन अपलोड करना होगा–

- आवेदक का पहचान पत्र (आधार/वोटर/आई0डी0/ड्राईविंग लाइसेंस/पेनकार्ड)।
- आवेदक का फोटो।
- परिसर के स्वामित्व अथवा अधिवासी होने सम्बन्धी रजिस्ट्री/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/अन्तिम वसियत/रेन्ट एग्रीमेन्ट/हाउस टैक्स रसीद/हाउस आवंटन पत्र में से कोई एक दस्तावेज।
- लाइसेन्सी कान्ट्रेक्टर द्वारा निर्गत बी0 एण्ड एल0 फार्म (घरेलू संयोजनों के लिए स्वघोषित प्रपत्र मान्य है।)

प्रश्न 11: आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। क्या आवेदन पर विचार किया जायेगा?
उत्तरः प्रोसेसिंग फीस का आनलाईन भुगतान करने के उपरान्त ही आवेदन पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न 12: कितनी प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी?
उत्तरः प्रोसेसिंग फीस की गणना आवेदन में आवेदित विद्युत भार के आधार पर निम्नवत् की जाती है:–

PROCESSING FEE

S. No	Description	Processing Fee Per connection (Rs.)
1	Load up to 1 kW for BPL category Consumers only	10
2	Load up to 1 kW for other than BPL Consumers only	50
3	Load above 1 kW and less than 25 kW	100
4	Load 25 kW or more up to 50 kW / 56 kVA	1000
5	Load above 56 kVA up to 500 kVA	5000
6	Load above 500 kVA up to 3000 kVA	10000
7	Load above 3000 kVA up to 10000 kVA	15000
8	Load above 10000 kVA	25000

नोट–नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त।

प्रश्न 13: प्रोसेसिंग फीस कैसे जमा करनी है?
उत्तरः प्रोसेसिंग फीस झटपट पोर्टल पर ऑनलाईन ही जमा करनी है। अन्य किसी माध्यम से प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं की जायेगी।

प्रश्न 14: यदि आनलाईन सभी दस्तावेज अपलोड नहीं किये गये हैं अथवा जानकारी गलत फीड हो गयी है तो आवेदक को क्या करना होगा?
उत्तरः इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा झटपट पोर्टल पर क्वेरी लगायी जायेगी। क्वेरी का जवाब देते समय आवेदक पुनः दस्तावेज अपलोड व जानकारी झटपट पोर्टल पर फीड कर सकता है।

प्रश्न 15: विभाग द्वारा लगायी गयी क्वेरी के बारे में आवेदक को कैसे पता चलेगा?
उत्तरः जब भी विभाग द्वारा क्वेरी लगायी जायेगी तो क्वेरी के बारे में आवेदक को एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा क्वेरी का प्रतिउत्तर झटपट पोर्टल पर ही दिया जायेगा।

प्रश्न 16: क्या प्रोसेसिंग फीस जमा करने के उपरान्त संयोजन दे दिया जायेगा?
उत्तरः प्रोसेसिंग फीस जमा होने के उपरान्त विभाग द्वारा संयोजन स्थल का निरीक्षण कर तकनीकी सम्भाविता आख्या (Technical Feasibility Report) की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। तदोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया जायेगा तथा आवेदक को प्राक्कलन धनराशि के बारे में झटपट पोर्टल व एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जायेगा। झटपट पोर्टल पर आवेदक द्वारा प्राक्कलन धनराशि ऑनलाइन जमा करने के पश्चात ही संयोजन दिया जा सकेगा।

क्रमशः...........

प्रश्न 17: कितनी प्राक्कलन धनराशि जमा करनी होगी?

उत्तर: वर्तमान में लागू कॉस्ट डेटा बुक में दिये गये दरों व अन्य प्रावधानों के आधार पर प्राक्कलन धनराशि की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ घरेलु तथा वाणिज्यिक श्रेणी में आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली प्राक्कलन धनराशि का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

वर्तमान में लागू कास्ट डेटा बुक (08 जुलाई 2019 से प्रभावी) के अनुसार नया विद्युत संयोजन प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली अनुमानित धनराशि (रूपये में) का विवरण (जहाँ निकटतम बिजली के पोल से परिसर की दूरी 40 मीटर अथवा उससे कम है)

विधा	क्षेत्र	भार (कि0वा0)	प्रोसेसिंग फीस (18% जी0एस0टी0 सहित)	प्रतिभूति धनराशि	ओवरहेड लाईन चार्जेस (अधिकतम 40 मी0)	मीटर कास्ट	मीटर कास्ट पर जी0एस0टी0 18%	कुल प्राक्कलन धनराशि	कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9 (3+8)
घरेलू	ग्रामीण/शहरी	01 (बीपीएल आवेदकों के लिए)	11	0	150	872	183.96	1206	1217
	ग्रामीण	1	59	100	150	872	183.96	1306	1365
		2	118	200	150	872	183.96	1406	1524
	शहरी	1	59	300	398	872	228.60	1799	1858
		2	118	600	398	872	228.60	2099	2217
	ग्रामीण/शहरी	3	118	1200	398	872	228.60	2699	2817
		4	118	1600	398	872	228.60	3099	3217
		5	118	2000	2036	2921	892.26	7850	7968
वाणिज्यिक	ग्रामीण	1	59	1000	150	872	183.96	2206	2265
		2	118	2000	150	872	183.96	3206	3324
	शहरी	1	59	1000	398	872	228.60	2499	2558
		2	118	2000	398	872	228.60	3499	3617
	ग्रामीण/शहरी	3	118	3000	398	872	228.60	4499	4617
		4	118	4000	398	872	228.60	5499	5617
		5	118	5000	2036	2921	892.26	10850	10968

वास्तविक प्राक्कलन धनराशि के बारे में सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड कार्यालय द्वारा झटपट पोर्टल पर सूचित किया जायेगा।

प्रश्न 18: प्राक्कलन धनराशि के सम्बन्ध में आवेदक को सूचित करने की समय सीमा कितनी है?

उत्तर: जहाँ नेटवर्क में विस्तार की आवश्यकता नहीं है – अधिकतम 10 कार्यदिवस

जहाँ नेटवर्क में विस्तार की आवश्यकता है –

- एल0टी0 नेटवर्क में विस्तार – 15 कार्यदिवस
- एच0टी0 नेटवर्क में विस्तार – 30 कार्यदिवस
- ई0एच0टी0 नेटवर्क में विस्तार – 60 कार्यदिवस

प्रश्न 19: कितने दिनों अन्दर प्राक्कलन धनराशि जमा करना अनिवार्य है?

उत्तर: प्राक्कलन की वैधता, प्राक्कलन उपलब्ध कराने की तिथि से 90 दिनों की होती है। अतः 90 दिनों के अन्दर प्राक्कलन धनराशि का ऑनलाईन भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा प्राक्कलन की वैधता समाप्त होने के कारण आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

प्रश्न 20: यदि संयोजन देने में लाईन निर्माण की आवश्यकता है तो कितनों दिनों में लाईन निर्माण किया जायेगा?

उत्तर: प्राक्कलन धनराशि जमा होने के उपरान्त लाईन निर्माण का कार्य पूर्ण करने की समय–सीमा निम्नवत् हैः–

- एल0टी0 पर संयोजित किए जाने वाले भार के लिए – 45 दिन
- 11 के0वी0 पर संयोजित किए जाने वाले भार के लिए – 60 दिन
- 33 के0वी0 पर संयोजित किए जाने वाले भार के लिए – 120 दिन
- 132 के0वी0 पर संयोजित किए जाने वाले भार के लिए – 300 दिन

क्रमशः...........

प्रश्न 21: आवेदक ने प्राक्कलन धनराशि का पूर्ण भुगतान कर दिया है परन्तु अभी तक मीटर स्थापित नहीं हुआ है, कितने दिनों के अन्दर मीटर स्थापित किया जायेगा?

उत्तरः प्राक्कलन धनराशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात सर्वप्रथम लाईन निर्माण, यदि आवश्यक है, का कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण किया जायेगा।

मीटर स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा कार्यपूरक प्रमाण–पत्र, विद्युत सुरक्षा का प्रदत्त एन0ओ0सी0 (घरेलू संयोजनों पर लागू नहीं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अतः आवेदक द्वारा उक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के पश्चात अधिकतम 07 कार्यदिवस में आवेदक के परिसर पर मीटर स्थापित कर संयोजन ऊर्जीकृत किया जाता है।

प्रश्न 22: आवेदक के पास सर्विस केबिल उपलब्ध नहीं है। क्या विभाग सर्विस केबिल उपलब्ध करायेगा?

उत्तरः जी हाँ, आरमर्ड केबिल का मूल्य विद्युत बिल में जोड़ते हुए विभाग द्वारा आरमर्ड केबिल के माध्यम से संयोजन दिया जायेगा।

प्रश्न 23: आवेदन की स्थिति के बारे में कैसा ज्ञात किया जा सकेगा?

उत्तरः आवेदक द्वारा आनलाईन झटपट पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति ज्ञात की जा सकती है।

प्रश्न 24: अगर आवेदक की समस्या का समाधान स्थानीय अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो क्या करना होगा?

उत्तरः इस सम्बन्ध में आवेदक के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैः–

- विभागीय टोल फ्री नम्बर 1912 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) व उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।
- वितरण मण्डल/वितरण क्षेत्र/डिस्काम स्तर पर गठित "**उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम**" में शिकायत दर्ज करा सकता है।

****

क्रमशः...........